बाल तस्करी

चर्चा में क्यों?

कथित तौर पर **अवैध रूप से बिहार से उत्तर प्रदेश ले जाए जा रहे 95 बच्चों** को **उत्तर प्रदेश बाल आयोग ने बचाया।**

- **धर्म के नाम पर चंदा कमाने** के लिये बच्चों को दूसरे राज्यों में ले जाकर **मदरसों में रखना संविधान का उल्लंघन** है।

मुख्य बिंदु:

- जिन बच्चों को बचाया गया उनकी **उम्र 4-12 वर्ष के** बीच थी। इस घटना ने **बाल तस्करी** को लेकर चिंता बढ़ा दी है।
- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग** के अध्यक्ष के मुताबिक, भारत के **संविधान** ने हर बच्चे को **शिक्षा का अधिकार** दिया है। प्रत्येक बच्चे के लिये स्कूल जाना अनिवार्य है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग** (National Commission for Protection of Child Rights- **NCPCR**) की स्थापना वर्ष 2007 में **बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005** के तहत की गई थी।
- आयोग का कार्य यह सुनिश्चित करना है कि **सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम** और **प्रशासनिक तंत्र** भारत के संविधान एवं **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन** (UN Convention on the Rights of the Child- **UNCRC**) में निहित **बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य के अनुरूप** हैं।

बाल तस्करी (Child Trafficking)

- यह घरेलू श्रम, उद्योगों में **बलात् बाल श्रम** और **भीख मांगने, अंग व्यापार** एवं **व्यावसायिक यौन उद्देश्यों जैसी अवैध गतिविधियों** के रूप में उजागर होता है।
- वर्ष 2021 में, **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो** (National Crime Records Bureau- **NCRB**) ने एक चौंका देने वाला आँकड़ा प्रस्तुत किया: **भारत में हर दिन औसतन आठ बच्चे तस्करी का शिकार** होते हैं। इन मामलों में शोषण के विभिन्न रूप शामिल थे, जिनमें बलात् श्रम, भीख मांगना और यौन शोषण शामिल था।
- ये आँकड़े एक चिंताजनक प्रवृत्ति को उजागर करते हैं, जिनमें वर्ष **2018 में 2,834 मामले**, वर्ष **2019 में 2,914 मामले** और वर्ष **2020 में 2,222 मामले** दर्ज किये गए।
    - यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि ये आँकड़े लापता बच्चों के मामलों को छोड़कर, केवल पुष्टि किये गए तस्करी के मामलों के हैं।
    - समस्या का वास्तविक दायरा इन आँकड़ों से कहीं अधिक बड़ा हो सकता है

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/child-trafficking-1